# लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

## पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

| प्रकरण संख्या | दायर दिनांक | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| 080/2025(सू.अ.) (GCMS 2025/237) | 17-10-2025 | 11-11-2025 |

**अनवान**

तरूण अग्रवाल, निवासी मकान नंबर 6 पटेल नगर तोपदडा, अजमेर जिला अजमेर (मोबाईल 9214960776)

**अपीलार्थी**

**बनाम**

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

**प्रत्यर्थी**

**प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**

**–:: निर्णय ::–**

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 05.07.2025 को प्रस्तुत किया, उक्त आवेदन के संबंध में अधिनियम द्वारा निर्धारित समायावधि 30 दिवस की अवधि में लोक सूचना अधिकारी से अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह हस्तगत प्रथम अपील लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) भीलवाडा को प्रेषित की जो कि मूल ही अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। अपीलार्थी द्वारा एक ही प्रथम अपील आवेदन के साथ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) को प्रस्तुत 02 पृथक–पृथक आवेदन संलग्न किये गये हैं, जिससे उक्त प्रार्थी/अपीलार्थी के उक्त दोनो आवेदनों को एक साथ निस्तारण हेतु रखा गया।

इस पर अपील अपीलार्थी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./080/2025(सू.अ.) (11.11.2025)/706 दिनांक 17.10.2025 से अपील मेमो एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रति संबंधित लोक सूचना अधिकारीगण को प्रेषित करते हुये आगामी पेशी दिनांक से पूर्व अपील मेमो एवं आवेदन के संबंध में बिन्दुवार कमेंट्स/टिप्पणी हेतु लिखा गया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड सूचना–पत्र से नियत दिनांक को अपील के संबंध में अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई हेतु सूचित किया गया।

दिनांक 11.11.2025 अपील अपीलार्थी अनुपस्थित रहे। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) से पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2025/166 दिनांक 10.11.2025 एवं पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2025/168 दिनांक 10.11.2025 से पृथक–पृथक बिन्दुवार टिप्पणी/कर्मेंट्स प्राप्त हुये जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर हैं, इसके साथ ही लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) द्वारा कमेट्स/टिप्पणी में संदर्भित पत्रों की छाया प्रतियां प्रेषित की गई है जो कि शामिल पत्रावली हैं।

अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ द्वारा अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2025/166 दिनांक 10.11.2025 से प्राप्त टिप्पणी/कर्मेंट्स निम्नानुसार हैं :–

1. यह कि प्रार्थी श्री तरूण अग्रवाल, निवासी मकान नंबर 6 पटेल नगर तोपदडा, अजमेर जिला अजमेर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् आवेदन पत्र दिनांक 07.07.2025 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ हैं।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के समस्त तथ्य प्रश्नात्मक प्रकृति हैं, जिसकी सूचना इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2025/166 दिनांक 18.07.2025 से प्रार्थी को सूचना निःशुल्क भिजवा दी गई है। (प्रति संलग्न)
3. यह कि प्रार्थी प्रार्थना–पत्र वांछित सचूना के संबंध में प्रार्थी को उपलब्ध करवा दिया जाने से वर्तमान में इस प्रकरण पर इस कार्यालय स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं हरती है, जिससे प्रकरण पर अपील निस्तारण योगय हैं।
4. यह कि प्रार्थी को उक्त सूचना नियमानुसार उपलब्ध करवा दी गई हैं, अतः अपील अपीलार्थी निरस्त फरमाने का श्रम करावें।

अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ द्वारा अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2025/168 दिनांक 10.11.2025 से प्राप्त टिप्पणी/कर्मेंट्स निम्नानुसार हैं :–

1. यह कि प्रार्थी श्री तरूण अग्रवाल, निवासी मकान नंबर 6 पटेल नगर तोपदडा, अजमेर जिला अजमेर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् आवेदन पत्र दिनांक 07.07.2025 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ हैं।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन से वांछित सूचना प्रभारी अधिकारी, संस्थापन अनुभाग जिला कार्यालय के पत्रांक/प.4–1( )

लोसूअ/2025/1087 दिनांक 03.11.2025 से प्राप्त कर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2025/164 दिनांक 10.11.2025 से प्रार्थी को निःशुल्क भिजवा दी गई हैं। (प्रति संलग्न)

3. यह कि प्रार्थी प्रार्थना–पत्र वांछित सचूना के संबंध में प्रार्थी को उपलब्ध करवा दिया जाने से वर्तमान में इस प्रकरण पर इस कार्यालय स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं हरती है, जिससे प्रकरण पर अपील निस्तारण योगय है।
4. यह कि प्रार्थी को उक्त सूचना नियमानुसार उपलब्ध करवा दी गई हैं, अतः अपील अपीलार्थी निरस्त फरमाने का श्रम करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन तथा लोक सूचना अधिकारीगण द्वारा प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया, तथ्यों का चित्त मन से शांति पूर्वक चिंतन–मनन किया। हमने सूचना का अधिकार अधिनयम 2005 से मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक : प. 3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 3 द्वारा प्रचारित किया गया है कि नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार हैं, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है या उसके नियंत्रण में है। इस अधिनियम में लोक प्राधिकारी के पास या नियंत्रण में उपलब्ध कृति, दस्तावेजों तथा रिकार्ड का निरीक्षण, नोट, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त करना, सामग्री के प्रमाणित नमूने शामिल हैं, परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का सृजन करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती हैं जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजदू हैं।

प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ को अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 05.07.2025 जो कि लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 07.07.2025 को प्राप्त हुए है। इस संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी के प्रथम आवेदन का निस्तारण अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2025/166 दिनांक 18.07.2025 एवं द्वितीय आवेदन से चाही गई सूचना प्रभारी अधिकारी संस्थापन अनुभाग जिला कार्यालय चित्तौड़गढ़ से पत्रांक/प.4–1( )लोसूअ/2025/1087 दिनांक 03.11.2025 से प्राप्त कर अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/ लोसूअ/2025/164 दिनांक 10.11.2025 से अपीलार्थी को निःशुल्क प्रेषित की जाना अवगत कराया गया है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत दोनों आवेदन–पत्र दिनांक 05.07.2025 जो कि अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी को दिनांक

07.07.2025 को प्राप्त हुऐ का विधि अनुसार निस्तारण किया जाना प्रतिवेदित होता है, अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होना पाया जाता है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील अपीलार्थी/आवेदक के दोनों आवेदन–पत्र दिनांक 05.07.2025 जो कि लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 07.07.2025 को प्राप्त हुये बाबत् सारहीन होने से खारीज की जाती है।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक <u>11.11.2025</u> को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
(राजस्व) (जिला कलक्टर),
चित्तौड़गढ़ (राज.)